e No. 6 CS.

to The Ficer Order or Proceeding with Night

राहायक STATISTIC

आरक्षी

अपिर्ाटा 500 अरिक्षय धारा शाना अंतर्गत EZTZI जगानिकीक्षाक, / प्रधान

दण्डनीय अगियोग विकद 15 अधिनियम्ब / अभियुक्तमण आभियुक्त गया प्रस्तुत किया संबंध 319703070 3197167 37 पत्र/परिवाद

<u>Э</u>до 18 82 91 ए०डी०फिंग्अो० हारा राज्य

अ १६॥३ अभियुक्तगण..... अभियुक्त

अधिवक्ता की और से मेमोरेण्डम/वकालतनामा भेटि .....राज्य.... अगिन दिता. अरि अभियुक्त / अभियुक्तगण FIBIT. 1713 ...... BIRI .. निवासी / निवासीगण... ch-उपरिथत । शाना किया

किया प्रस्तुत भीतर समयावधि के 四 पत्र/परिवाद आभियोग

धारा उपरोक्तानुसार दृष्ट्या किया गया। अभियोग किये जाने किया जाता विरम् प्रथम अधीन कार्यवाही का आदेश ् अभियुक्तगण अवलोकन विचार たさい सामित्र विकास 但 द्रतावेज विषय 1.5H2 15 अधीम संज्ञान 7102070/ 3.4.Cl. /अभियुक्तमण D 智 Q'070710 Kh 本 加 प्रकरण प्रकट /पिताद अभियुक्त 130-(1)

SE SELECTION म्तिरान 19 प्रकरण

जाव।

मन मिशुलक दिलायः अधीन प्रावधान्। 207 के Till: "I 河河 3: .... NEOZO2 / अभियुक्तमण् 四 अगिमयुक्त 江 KI SISK

THE MAN MAN THE B.1.8 13/11/16 ales

नुक विहित किया 8 राजसात कि HISL Class, साधारण व्यतिकम रंकित न्यायालय उसक गया Johad Dist Bhind (M. P. पावती पावती निरस्त उसक पंजीबद्ध कर Judicial magistrate अर्थदण्ड अपीलीय सुपुर्दगीनामा स्वेच्छया निर्णाय आवश्यक 本 अभियुक्त / अभियुक्तगण की स्वेच्छ कराकर हरताक्षिति, दिनांकित, मुद्रांकित कर अभियुक्त को उक्त अपराध के अधीन दोषसिद्ध अवस्तान तक की अवधि के दण्ड एवं के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड व नुस कि रिक्तिया नुसार अभियुक्त अभियुक्त क अवा के अवा के अवा के अभियुक्त अभियुक्त अभियुक्त अभियुक्त क कि अवा भूगताई निर्णय की नि:शुल्क प्रति अभियुक्त 世万 आदेशों का पालन हो। प्रकरण का परिणाम आपराधिक प् अविधि भे अभिलेख सचयन हेतु आ अभिलेखागार प्रेषित किया जाये। जिये जाये। संपत्ति । ड पाव ८ थे ने व्ययनित की जाये। जप्तसुदा वाहन की व को लौटाया जाये। सुपुर्दगी की दशा में जाता है तथा अपील की दशा में मानन चूकि मामला संक्षित विचारणोय है। किया नया। अभियुक्त /अभि धारा 3,40, भाग्यं अभि अधिनियम के अधीन अपराध की विश्वि को पढ़कर सुन्तयो और समझाये जा करना स्वेच्छया स्वीकार किया। अतः प्रकरण उपरोक्ता निर्मेश अनुसर Order or proceeding with Sign अभियुक्त को कारावास भुगताया जावे। की अर्थितपड र प्नश्च: